दिनांक-18फरवरी2020

स्वच्छ भारत अ भयान | स्वच्छ एवं सुदर भलाई

आकाशगंगा के जनरल स्टोर्स में मला 40 कलो प्रतिबं धत कैरी बैग , देना पड़ा 10 हजार जुर्माना

भलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज सब्जी मंडी , आकाश गंगा, सुपेला एवं गुरूद्वारा रोड सहित निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसा सयों से प्रतिबं धत डस्पोजल गलास व कैरी बैग का वक्रय करने, बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 14,500 रूपए का अर्थदण्ड की वसूली की। उड़नदस्ता की टीम ने भलाई शहर को प्रतिबं धत प्लास्टिक मुक्त बनाने के अ भयान के तहत निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में प्रतिबं धत प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग व डस्पोजल गलास वक्रय करने वालों का निरीक्षण कया और जहां प्राप्त हुई वहां कार्रवाई की गई। नगर पा लक निगम , भलाई की उड़नदस्ता टीम ने सब्जी मंडी , आकाश गंगा, सुपेला, गुरूद्वारा रोड के कराना दुकान , बाजार, होटल, सब्जी व फल ठेला आदि में प्रतिबं धत प्लास्टिक पाॅलीथीन, कैरी बैग तथा डस्पोजल गलास का उपयोग करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की ! इस दौरान उड़नदस्ता की टीम ने दुकानदारों को प्रतिबं धत प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले हानि व पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के अ भयान में व्यापारियों से सहयोग की अपील कए।

जनसम्पर्क अ धकारी